बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०–9 / आ०–06–03 / 2023(स्वा०) .... / पटना, दिनांकः–..

जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–48(प्र०) दिनांक–04.04.2023 द्वारा डॉ० रवि कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खवासपुर, भागलपुर के विरूद्ध संस्थान में दिनांक–30.03.2023 को अफसारा खातुन (प्रसुती) को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के कारण असामयिक मृत्यु होने एवं उनके विरूद्ध कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं०–333(9) दिनांक–12.04.2023 द्वारा निलंबित करते हुए निलंबन अवधि हेतु मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया गया।

2. विभागीय ज्ञापन सं०–760(9) दिनांक–18.07.2023 के द्वारा डॉ० रवि कुमार के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित करने का अवसर दिया गया। डॉ० कुमार के द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०–839(9) दिनांक–19.09.2024 के द्वारा निलंबन मुक्त किया गया।

3. डॉ० कुमार से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन के समीक्षोपरान्त मामले की विस्तृत जॉच हेतु विभागीय संकल्प सं०–840(9) दिनांक–19.09.2024 द्वारा डॉ० कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोपों को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–1377(9) दिनांक–31 12.2024 द्वारा डॉ० कुमार से द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी।

4. डॉ० कुमार द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए अवगत कराया गया है कि वे दिनांक–30.03.2023 को रात्रि रोस्टर के अनुसार कर्त्तव्य पर उपस्थित थे। अफसारा खातुन का उक्त तिथि को 01:50 रात्रि में प्रसव होने की सूचना उन्हें नहीं दी गयी थी। मरीज की स्थिति खराब होने पर प्रीति भारती, ए०एन०एम० द्वारा दिनांक–31.03.2023 को सुबह 06:00 बजें सूचना दी गयी। डॉ० कुमार द्वारा मरीज का अनुश्रवण किया गया, जिसमें मरीज की स्थिति सामान्य होने पर आवश्यक दवाई देने का उल्लेख किया गया है।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान पाया गया कि डॉ० कुमार द्वारा परिचारिका के अनुरोध पर कार्य स्थल पर उपस्थित होकर मरीज को नहीं देखा गया। उनके द्वारा लिखे गए चिकित्सीय पर्ची की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, पीरपैंती, भागलपुर के पत्रांक–509 दिनांक–15.10.2024 एवं वीडियों फुटेज से ज्ञात होता है कि वे कर्त्तव्य पर उपस्थित थे। आपातकालीन रजिस्टर में सिर्फ प्रसुता का नाम अंकित पाया गया। दवा देने के संबंध में कोई सूचना अंकित नही किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि डॉ० कुमार द्वारा दिनांक–30.03.2023 को .कर्त्तव्य पर उपस्थित रहने के बावजूद अफसारा खातुन (प्रसुता) को समुचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नही करायी जा सकी।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की सम्यक् समीक्षोपरान्त डॉ० कुमार द्वारा दिनांक–30.03.2023 को कर्त्तव्य पर उपस्थित रहने के बावजूद भी अफसारा खातुन को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के कारण अकाल मृत्यु होने के प्रमाणित आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(vi) के अधीन संचयात्मक

01/08/2025

15

प्रभाव से 2 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का विनिश्चय किया गया है।

7. विभागीय पत्रांक–448(9) दिनांक–15.05.2025 के द्वारा उक्त अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–1604 दिनांक–10.07.2025 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

8. अतएव डॉ० रवि कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खवासपुर, भागलपुर के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(vi) के अधीन संचयात्मक प्रभाव से 2 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा संसूचित किया जाता है।

9. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–06–03/2023(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–.........................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–06–03/2023(स्वा0) 900(9) **/पटना, दिनांकः–** 01.08.25

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/गृह विभाग (कारा) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएें, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० रवि कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खवासपुर, भागलपुर सम्प्रति गृह विभाग (कारा) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपेन्द्र
01/08/2025

सरकार के अवर सचिव।